यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी** के माह 04/2013 से 12/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेन्द्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.02.2017 से 06.02.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.04.2013 से 29.04.2013 तक श्री डी.के. पिपलानी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था। जिसमें माह 2008-09 से 2012-13 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी का मुख्य कार्यकलाप चिकित्सालय में आने वाले रोगियों का चिकित्सा उपचार देना।

(ii) प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त जनपद में स्थित है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	453.75	392.49	61.30	61.20		61.36
2014-15	0	0	499.60	495.23	120.82	120.61		4.58
2015-16	0	0	637.86	637.86	130.24	130.24		
2016-17 (upto Dec.)	0	0	666.77	495.78	27.32	25.82		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
-------शून्य-----					

(III) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, से प्राप्त होता है। विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति संलग्न है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
92/2004-05	शून्य	1	1
87A/2006-07	1,2	1,2	1
130/2012-13	1	----	----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

भाग 2'ब'

प्रस्तर-1: गुणवत्ता निर्धारण किए बिना रु 125.50 लाख की औषधियों का वितरण किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1289/xxviii-5 2008-24/2003 चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के बिन्दु 11 'क' के अनुसार उत्तराखंड राज्य मे राजकीय चिकत्सालयों/औषधालयों के लिए एक बार मे क्रय की गयी विभिन्न औषधियों मे से 20 प्रतिशत दवाओ के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओ से विश्लेषण कराया जाए ताकि दवाइयो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनो की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मो के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिन्दु 22 के अनुसार 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुँचने के 60 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत गुणवत्ता संबंधी जांच आख्या आने के 30 दिन के अंदर किया जाए ।

जिला चिकित्सालय पौड़ी के औषधियो के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा 2013-14 मे मात्र 04 किस्म की औषधि के ही परीक्षण कराये गए, 2015-16 मे मात्र 06 किस्म की औषधि के, 2014-15 और 2016-17 मे किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गया, इस तरह क्रय की गयी 578 किस्म की औषधियो के सापेक्ष मात्र 10 किस्म की औषधि (औसतन मात्र 1.7 प्रतिशत) के ही परीक्षण कराये गए । लेखापरीक्षा अवधि 2013-14 से 12/2016 तक रु 125.50 लाख की दवाइयाँ क्रय की गयी। क्रय की गयी दवाइयो के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये 2013-14 से 12/2016 तक मात्र 1.7 प्रतिशत औषधि के ही परीक्षण कराये गए। जो कि शासनादेश के प्रावधानों मे वर्णित नियमो का उल्लंघन था।

S. No.	Year	No. Of Purchase Medicine	Amount (Rs. in lakh)	No. of Total Medicine Random Sampling
1	2013-14	111	30.13	04
2	2014-15	146	29.37	00
3	2015-16	157	44.44	06
4	2016-17 upto 12/2016	164	21.56	00
	Total	578	125.50	10

कार्यालय द्वारा क्रय की गयी समस्त औषधि का भुगतान औषधियों के प्राप्त होते ही शत-प्रतिशत एक बार मे किया गया। जिसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अप्रत्यक्ष रूप

से लाभ पहुंचाए जाने की संभावना बनी रहती है वहीं दूसरी ओर औषधियों की निम्न गुणवत्ता होने पर उसके बदले मे वापसी एवं पुनः आपूर्ति की संभावना भी खत्म हो जाती है।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी ने तथ्यो एवं आंकणों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि निकट भविष्य मे इसका अनुपालन किया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है, इकाई द्वारा औषधि के संबंध मे जारी शासनादेश की अनदेखी करते हुये औषधियों की आपूर्ति की गयी साथ ही औषधियों की गुणवत्ता संबंधी मरीजो मे वितरित किए जाने के फलस्वरूप मरीजो के स्वास्थ्य को भी ध्यान नहीं रखा गया।

अतः गुणवत्ता निर्धारण किए बिना रु 125.50 लाख की औषधियों का वितरण किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर-2- रु 5.25 लाख का औषधियों पर परिहार्य व्यय

चिकित्सा महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 29 जून 2002 के कार्यालय आदेश मे यह प्राविधानित है कि औषधियो का स्थानीय क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत (23 प्रतिशत) निम्न दरो पर किया जाए। इसी तरह उत्तराखंड शासन द्वारा जारी Standard Treatment Guidelines मे यह निर्देश दिये गए थे कि चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इलाज हेतु जेनेरिक औषधियाँ ही लिखी जाए।

कार्यालय जिला चिकित्सालय पौड़ी गढ़वाल के 04/2013 से 12/2016 तक के औषधियो के स्थानीय क्रय संबंधी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा 2013-14 से 12/2016 तक रुपये 35.91 लाख की औषधियो का स्थानीय क्रय किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि 2011-12 से 2013-14 तक M/S बृज मेडिकल पौड़ी से खुदरा मूल्य से 20.03 प्रतिशत निम्न दरों पर औषधियो का स्थानीय क्रय किया गया। दिनांक 04.02.2014 को औषधियों कि स्थानीय क्रय की व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रित की गयी जिसमे केवल M/S बृज मेडिकल पौड़ी के द्वारा ही निविदा के लिए आवेदन किया गया। जिसके आधार पर जिला चिकित्सालय पौड़ी द्वारा MRP से 5 प्रतिशत कम दर पर स्थानीय क्रय के लिए औषधियों की आपूर्ति दिनांक 01/03/2014 से स्वीकृत कर दी गयी। 2014-15 से वर्तमान (12/2016) तक M/S बृज मेडिकल पौड़ी से ही खुदरा मूल्य से मात्र 5 प्रतिशत निम्न दरों पर औषधियो का स्थानीय क्रय किया जा रहा है।

औषधियो का स्थानीय क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत (23 प्रतिशत) निम्न दरो पर किया जाना था जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

वर्ष	**अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार क्रय की गयी औषधियो की लागत**	**अधिकतम खुदरा मूल्य से निम्न दर पर क्रय की गयी औषधियो का मूल्य**	**अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत निम्न दर के अनुसार क्रय की गयी औषधियों का मूल्य**	**अधिक व्यय (3–4)**
1	2	3	4	5
2013-14	12.79	10.23 (20.03%)	9.84	0.39
2014-15	9.57	9.09 (5%)	7.37	1.72
2015-16	11.72	11.13 (5%)	9.02	2.11
2016-17 upto 12/2016	5.75	5.46 (5%)	4.43	1.03
	योग	**35.91**	**30.66**	**5.25**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत निम्न दर के स्थान 5 प्रतिशत से 20.05 प्रतिशत की निम्न दर से औषधियो का स्थानीय

क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप चिकित्सालय द्वारा रुपये 5.25 लाख औषधियों पर अधिक व्यय किया गया जिससे रुपये 5.25 लाख का संबन्धित फर्म को अनियमित लाभ पहुंचाया गया ।

आगे जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा निविदा संबंधी सूचना मे जेनेरिक औषधियो की पूर्ति एवं अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर आपूर्ति की शर्त ही नहीं रखी थी। जिससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा की गयी निविदा महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुरूप नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यो एवं आंकणों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि पूर्व के टेंडरो मे स्थानीय औषधि क्रय हेतु निविदा की गयी, किसी भी निविदादाता द्वारा टेंडर नहीं डाले गए।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि M/S बृज मेडिकल पौड़ी से खुदरा मूल्य से 2013-14 तक 20.03 प्रतिशत निम्न दरों पर औषधियो का स्थानीय क्रय किया गया 2014-15 से वर्तमान तक उसी से फर्म से 5 प्रतिशत निम्न निम्न दरों पर औषधियो का स्थानीय क्रय किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि संबन्धित फर्म को अनियमित लाभ पहुंचाया गया।

अतः दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण औषधियों का स्थानीय क्रय मे रु 5.25 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर-3- रु 0.55 लाख की पुस्तकीय मूल्य की सामाग्री का नीलाम न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI प्रस्तर 189 एवं 190 के अनुसार जैसे ही यह तथ्य सामने आए कि स्टोर की कोई सामाग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फॉर्म 18 के प्रारूप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा ।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी के लेखा अभिलेखो में पाया गया कि रुपय 55,740.00 की पुस्तकीय मूल्य की सामग्री (सूची संलग्न), विगत एक से चार वर्षो से निष्प्रयोज्य अवस्था में पड़ी हुई है।

उक्त सामग्री कुल धनराशि रुपए 55,740.00 चिकित्सालय के स्टोर में रखी हुई है जिसको शीघ्र नीलाम किया जाना था लेकिन चिकित्सालय द्वारा नहीं कराया गया। उक्त सामग्रियों को नीलाम करके समायोजन किया जाना चाहिए, उक्त सामग्री प्रति वर्ष क्षति हो रही है और उस सामग्री के मूल्य में कमी आ रही है।

उपरोक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे कहा है कि कार्य की अधिकता एवं समयाभाव के कारण नीलामी नहीं हो पायी शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 0.55 लाख की सामग्री निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है जिससे इसके मूल्य मे उतरोत्तर कमी होना निश्चित है

इस प्रकार रु 0.55 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्री को नीलाम न किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर-4- विभागीय उदासीनता के कारण डिजिटल एक्स-रे मशीन का अकार्यशील रहना ।

भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (आई.पी.एच.एस.) के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सालय उपकरण वारंटी अवधि के उपरांत वार्षिक मरम्मत ठेके के अंतर्गत आच्छादित होनी चाहिए । कोई भी उपकरण वर्ष के दौरान 30 दिनों से अधिक समय तक अक्रियाशील नहीं होनी चाहिए ।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी मे उपकरण संबंधी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि पत्रांक संख्या 15/प/उपकरण क्रय/4/2007 दिनांक 19.02.2008 के अनुसार चिकित्सालय मे डिजिटल एक्स-रे मशीन की आपूर्ति की गयी थी जो दिनांक 25.08.2015 से खराब हो जाने के कारण कार्यशील नहीं है। पत्र संख्या स-20/2015-16/644-2 दिनांक 26.08.2015 के द्वारा जिला चिकित्सालय पौड़ी ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून को एक्स-रे मशीन की मरम्मत कराने हेतु अवगत कराया गया। 11 माह बाद निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या 15प/भण्डार/27/2015/15672 दिनांक 26.07.2016 मे अवगत कराया गया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी मे स्थापित डिजिटल एक्स-रे मशीन को आपूर्तिकर्ता फर्म मै॰ क्यूरा हेल्थकेयर मरम्मत करवाने हेतु अनुरोध किया गया है और निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी मे स्थापित डिजिटल एक्स-रे मशीन को प्रबंधन समिति के माध्यम से शीघ्र कार्यशील करवाना सुनिशिचित करे। साथ ही उक्त मशीन का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध का वित्तीय वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्ताव आपूर्तिकर्ता फर्म से प्राप्त कर ले। इसके बाद भी उक्त मशीन विगत एक वर्ष से अधिक समय से खराब पड़ी हुई थी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि डिजिटल एक्स-रे मशीन विगत एक से अधिक समय से अक्रियाशील है जिससे मरीजो को डिजिटल एक्स-रे मशीन के द्वारा होने वाली स्तरीय जांच से वंचित रहना पड़ा जो विभागीय लापरवाही और उदासीनता का परिचायक है

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी ने तथ्यो की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि CMC के तहत कार्यवाही महानिदेशालय स्तर से की जानी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न ही निदेशालय स्तर से और न ही कार्यालय स्तर से डिजिटल एक्स-रे मशीन की मरम्मत कराने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण डिजिटल एक्स-रे मशीन का अकार्यशील रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) अनुपालन आख्या

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ. सावित्री उनियाल	प्रमुख अधीक्षक	01.11.2011से 31.08.2013
2.	डॉ. ए.एस.राय	प्रमुख अधीक्षक	01.09.2013 से 25.11.2013
3.	डॉ. एस.सी. पंत	प्रमुख अधीक्षक	26.11.2013 से 05.11.2014
4.	डॉ एस.डी. उनियाल	प्रमुख अधीक्षक	06.11.2014 से 30.09.2015
5.	डॉ. कल्पना गुप्ता	प्रमुख अधीक्षक	01.10.2015 से 19.01.2016
6.	डॉ. यू.एस. कण्डवाल	प्रमुख अधीक्षक	20.01.2016 से 17.01.2017
7.	डॉ. अनिल कुमार	प्रमुख अधीक्षक	18.01.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)